



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-240000  
CG-DL-E-03112022-240000

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4880]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944

No. 4880]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5099(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में अडोनी बायपास टाउन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167 के कि.मी. 62.7 से कि.मी. 70 तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

## अनुसूची

## आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम					
1	2	3	4	5	6	7					
1	रेवन्यू डिविजनल आफिसर, एडोनी  ( )	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH167 के कि.मी. 62.7 से 70 तक	आंध्र प्रदेश	करनूल	<table><tr><td rowspan="2">अडोनी</td><td>1</td><td>एस .कोंडापुरम</td></tr><tr><td>2</td><td>अडोनी</td></tr></table>		अडोनी	1	एस .कोंडापुरम	2	अडोनी
अडोनी	1	एस .कोंडापुरम									
	2	अडोनी									

[फा. सं. Rc.G1.572/2022, Dated 17-10-2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2022

**S.O. 5099(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk/Mandals and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 62.700 to 70.000 of Adoni Bypass Town National Highway 167 in the District of Kurnool State of ANDHRA PRADESH.

## SCHEDULE

## Land acquisition on National Highway No. NH167 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Revenue Divisional Officer, Adoni	62.7KM To 70KM	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	Adoni	<table><tr><td>1</td><td>S.Kondapuram</td></tr><tr><td>2</td><td>Adoni</td></tr></table>	1	S.Kondapuram	2	Adoni
	1					S.Kondapuram				
2	Adoni									
	()									

[F. No. Rc.G1.572/2022, Dated 17-10-2022]

RAJESH GUPTA, Director